राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः एफ 4(37)त.शि./2008 पार्ट–I जयपुर, दिनांक : 5.7.2012

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.8.2003 की अनुपालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 18(8)त.शि./2002 दिनांक 28.5.2003 के द्वारा अभियांत्रिकी/आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले गैर अनुदानित निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 15 प्रतिशत प्रवेश स्थान मैनेजमेन्ट कोटा के रूप में निर्धारित किये गये थे।

मैनेजमेंट कोटा के प्रवेश स्थानों पर गैर अनुदानित निजी अभियांत्रिकी/आर्कीटेक्चर तकनीकी शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनायी जा रही प्रवेश प्रकिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्रबन्धकीय कोटे की सीटें भरने हेतु कम से कम एक राष्ट्रीय एवं दो राज्य स्तरीय अखबारों में विज्ञप्ति जारी करनी होगी।

2. प्रत्येक संस्थान प्रबन्धकीय कोटा के प्रवेश स्थानों पर प्रवेश देने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

3. समस्त योग्य अभ्यर्थियों की सूची मैरिट अनुक्रम में तैयार करनी होगी एवं प्राप्त आवेदनों की पाठ्यक्रम वार मैरिट सूची संस्थान की वेब साईट एवं संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवानी होगी।

4. संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों की विषयवार निम्न प्रपत्र में सूची संमन्वयक, RPET/ Architecture-2012 को प्रेषित करनी होगी :–

Engineering (Branchwise)

S. N	Name of Students	Father's Name	Mother's Name	Date of Birth	XIIth Agg %	RPET-2012 Rank (If available)	AIEEE-2012 Rank (If available)
1	2	3	4	5	6	7	8

5. संस्थानों द्वारा मैनेजमेंट कोटा के प्रवेश स्थानों पर दिनांक 15.7.2012 तक प्रवेश का कार्य पूरा कर लिया जावे।

6. प्रवेशित छात्रों की सूची को अलग–अलग पाठ्यक्रम की विभिन्न रंग के कागज में समन्वयक को दिनांक 17.7.2012 तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे साथ ही अखबार की विज्ञप्ति को भी सलंग्न किया जावे।

7. दिनांक 17.7.2012 तक समन्वयक को सूची प्रेषित नहीं करने वाली संस्थानो के मैनेजमेंट कोटा में दिये गये प्रवेश समन्वयक द्वारा अस्वीकार किये जायेंगे तथा ऐसे संस्थानों को सीधी भर्ती प्रक्रिया में भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. यदि किसी संस्था द्वार मैरिट के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जाती है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उस संस्था की मान्यता/सम्बद्धता रद्द करने व शास्ती लगाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(आर.के.गुप्ता)
संयुक्त सचिव,त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
2. समन्वयक, **RPET-2012/Achitecture** को प्रति भेजकर लेख है कि वे तत्काल प्रभाव से इन दिशा-निर्देशों को **RPET** की वेबसाईट पर अपलोड करे एवं संबंधित संस्थानों के ई-मेल पते पर पत्र को प्रेषित किया जावें।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजस्थान–सरकार
(कार्यालय समन्वयक आरपीईटी–2012)
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड़ जोधपुर।

298

क्रमांक :– आरपीईटी–2012/[illegible]   दिनांक :– 7.7.12

संचालक / निदेशक,
समस्त गैर अनुदानित निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय

विषय :– प्रबन्धकीय कोटे (Management quota) के चिन्हित 15 प्रतिशत प्रवेश स्थानों पर संस्था स्तर पर दिये जाने वाले प्रवेश के क्रम में।

सन्दर्भ :–संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा का आदेश क्रमांक एफ–4(37)त.शि. / 2008–पार्ट–I दिनांक 05–07–2012.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित आदेश के द्वारा राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त गैर अनुदानित निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रबन्धकीय कोटे (Management quota) के 15 प्रतिशत चिन्हित प्रवेश स्थानों (पाठ्यक्रम वार) पर प्रवेश देने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश आरपीईटी–2012 की वेब–साईट पर अपलोड कर दिये हैं तथा इसकी प्रति ई–मेल के माध्यम से आपको प्रेषित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में संस्था स्तर पर प्रबन्धकीय कोटे में चिन्हित 15 प्रतिशत प्रवेश स्थानों पर संस्था द्वारा दिनांक 15–07–2012 तक प्रवेश का कार्य पूरा किया जाना तथा प्रवेशित छात्रों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को दिनांक 17–07–2012 तक प्रेषित करनी है।

प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेशित छात्रों की सूची कार्यालय समन्वयक आरपीईटी–2012 को प्रेषित करते समय निम्न सूचना / प्रमाण आवश्यक रूप से प्रेषित किये जाये :–

1. प्रबन्धकीय कोटे के प्रवेश स्थानों को भरने हेतु एक राष्ट्रीय एवं दो राज्य स्तरीय अखबारों में जारी विज्ञप्ति की प्रति।
2. पाठ्यक्रम वार प्राप्त आवेदनकर्त्ताओं की सूची तथा पाठ्यक्रम वार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में निर्धारित प्रपत्र में प्रवेशित छात्रों की पाठ्यक्रम वार सूची।

राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन होने की अवस्था में प्रबन्धकीय कोटे में किये गये प्रवेश मान्य नहीं किये जायेंगे।

भवदीय

(एस.के. सिंह)
समन्वयक आरपीईटी–2012